न्यायालय सहायक कलक्टर, भदेसर जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	फैसल दिनांक
148/2017	11.09.2017	18.11.2021

अनवान

1. चंपालाल पिता गोपीलाल खटीक उम्र वयस्क निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर
2. केशवलाल पिता गोपीलाल खटीक मृतक के बजाय :–
   2/1 रमेश पिता केशवलाल खटीक उम्र वयस्क निवासी मण्डफिया
   2/2 कन्हैयालाल पिता केशवलाल खटीक उम्र वयस्क निवासी मण्डफिया
   2/3 श्रवण पिता केशवलाल खटीक उम्र वयस्क निवासी मण्डफिया
   2/4 संतोष पिता केशवलाल खटीक उम्र वयस्क निवासी मण्डफिया
   2/5 मंजू पिता केशवलाल खटीक उम्र वयस्क निवासी मण्डफिया
3. चांदमल पिता गोपीलाल खटीक उम्र वयस्क निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर

.....वादीगण

।। बनाम ।।

1. जगदीश पिता सवा कुम्हार उम्र वयस्क निवासी भादसौडा तह भदेसर
2. भेरू पिता सवा कुम्हार उम्र वयस्क निवासी भादसौडा तह भदेसर
3. देवीलाल पिता सवा कुम्हार उम्र वयस्क निवासी भादसौडा तह भदेसर
4. डाडमचंद पिता सवा कुम्हार उम्र वयस्क निवासी भादसौडा तह भदेसर
5. धापू बेवा सवा कुम्हार उम्र वयस्क निवासी भादसौडा तह भदेसर
6. नाथूराम पिता रतना खटीक उम्र वयस्क निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर
7. पोखर पिता रतना खटीक उम्र वयस्क निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर
8. मोहनलाल पिता रतना खटीक उम्र वयस्क निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर
9. प्यारचंद पिता गणेश नाई उम्र वयस्क निवासी भादसोडा तहसील भदेसर
10. शिवनारायण पिता गणेश नाई उम्र वयस्क निवासी भादसोडा तहसील भदेसर
11. सोहनी पत्नि परथू रेगर उम्र वयस्क निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:13:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

12. भेरूलाल पिता मांगीलाल धोबी उम्र वयस्क निवासी मण्डफिया
तहसील भदेसर
13. रतन पिता नारायण जाट उम्र वयस्क निवासी अमरपुरा तहसील
भदेसर
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर
15. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय चित्तौड़गढ़

.........प्रतिवादीगण

वादपत्र अंतर्गत धारा 88,89,188 राज0काश्त0अधिनियम, 1955

उपस्थित-श्री [illegible] मोहम्मद वकील वादीगण

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने अंतर्गत आदेश 07 नियम 01, 02 जा0दी0 के तहत वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण के पिता गोपी लाल पिता सोलाल खटीक द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के क्रयशुदा कृषि आराजीयात मौजा ग्राम भादसोडाप0ह0 भादसोडा की साबिक आराजी 3081/16 रकबा 10 बीघा दर्ज रेकार्ड चली आ रही है। उक्त आराजीयात वादीगण के पिता वक्त खरीद से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा वादीगण के पिता की मृत्यु 2011 में होने के पश्चात नामांतरण सं0 3334 से वादीगण के नाम दर्ज हुई जिसका अंकन संवत् 2065 से 2068 की जमाबंदी में किया गया साक्ष्य में नकल जमाबंदी पेश की है।

यह कि संवत 2066 में राज्य सरकार द्वारा भुप्रबंधीय कार्यवाही राजस्व कर्मचारियो द्वारा करवाई गई जिसमे साबिक के मुकाबले नवीन आराजी नम्बर कायम करते हुए बीघा को हैक्टैयर में रूपांतरित किया गया उसके अनुसार वादीगण की आराजीयात का भी भूप्रबंध कर्मचारियो द्वारा रूपांतरण क्षैत्रफल व नम्बरान में किया गया।

यह कि राजस्व कर्मचारियो द्वारा संवत् 2066 में किये गये साबिक के मुकाबले नवीन राजस्व इन्द्राज में पुनः वादीगण के पिता गोपीलाल पिता सोलाल खटीक का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिया तथा आराजी नम्बर व क्षैत्रफल के कालम सं. 05 एवं 06 में [illegible] प्रकार का कोई अंकन नहीं करते हुए खाली छोड दिया। [illegible] भूप्रबंध कर्मचारियो को कोई अधिकार नहीं था फिर भी अपने [illegible] करते हुए अंकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:13:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

रिक्त छोडते हुए जमाबंदी तरमीम कर दी जबकि वादीगण आज भी अपने पिता द्वारा कयशुदा आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। जिसके चारो तरफ वादीगण की थोहर की पुख्ता बाड व हरे वृक्ष लगा रखे है। जिससे वादीगण की कब्जेशुदा आराजीयात का राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए रकबे का इन्द्राज किया जावे एवं वादीगण के पिता के बजाय वादीगण का नाम नामांतरण सं. 334 के अनुसार दर्ज किया जाना आवश्यक होने से वादपत्र घोषणात्मक डिक्री एवं इन्द्राज दुरूस्ती के पेश किया है।

वादीगण के कब्जेशुदा कृषि आराजीयात जिसे वादीगण के पिता ने तत्कालीन खातेदार रामा पिता सोरका धोबी से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय करके कब्जा प्राप्त किया था तथा वर्तमान में भी आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है जिसका नवीन नाप 2.16 हैक्टेयर बनता है लेकिन उपरोक्त आराजीयात वर्ष दौरान्ने सेटलमेंट कार्यवाही वादीगण की आराजीयात पर प्रतिवादीगण को तरमीम करते हुए नवीन आराजी नम्बर 3927,3928,3913,3912,3911,3910 पर बिठा दिया है जबकि उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर आज भी वादीगण अपने पिता के द्वारा खरीद दिनांक से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।वर्तमान मे भी प्रतिवादीगण अन्य आराजीयात पर काबिज है इसलिए उपरोक्त आराजीयात में से प्रतिवादीगण का नाम विलोपित करते हुए वादीगण के नाम रकबा 2.16 हैक्टेयर राजस्व रेकार्ड में घोषणात्मक डिक्री एवं उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री फरमावें।

वर्तमान में वादीगण के कब्जेशुदा कृषि आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर व रकबे का अंकन नहीं होने से प्रतिवादी सं. 01 वादीगण के विरूद्ध अतिक्रमण की कार्यवाही कर बेदखल करने पर आमादा हो रहे है जबकि विवादित रकबे पर वादीगण के पिता शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त कर रहे थे तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात वादीगण निरंतर काबिज होकर काश्त कर रहे है जिससे प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त वाले हिस्से से वादीगण को बेदखल नहीं करे ना हि उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करे ना किसी अन्य से करावें। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:13:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थना है कि वाद पत्र वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री पारित फरमाई जावे कि–

अ–ग्राम भादसौडा तहसील भदेसर की खाता सं. 180 पर इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादीगण को आराजी 3927,3928,3913,3912,3911,3910 के कुल रकबे में से 2.16 हैक्टेयर जो वादीगण के कब्जे काश्त में है,को वादीगण की खातेदारी में दर्ज की जाकर वादीगण के पक्ष में घोषणात्मक डिक्री प्रदान कराई जावे एवं उक्त आराजीयात के रकबे 2.16 हैक्टेयर में प्रतिवादीगण का नाम विलोपित किया जाकर नक्शा तरमीम किया जाकर उसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जाकर उक्त आराजीयात वादीगण के खातेदारी में दर्ज की जावें।

ब–प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त वाले हिस्से से वादीगण को उनके पिता की खरीदशुदा आराजीयात से पर किसी प्रकार की दखलदांजी नही करे, बेदखल नहीं करे ना हि उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करें ना किसी अन्य से करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीको जरियेसम्मन तलब किया गया। बरोज पेशी पेरोकार सरकार अनुपस्थित। प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने से बिंदुवार तनकीयात कायम की गई। जो निम्नानुसार है।

1. आया कि वाद वर्णित अराजीयात मौजा भादसोडा की साबिक आराजी 3081/16 रकबा 10 बीधा दर्ज रेकार्ड रही है जो जरिये विरासतीय नामांतरण वादीगण के नाम दर्ज हुई।

--जिम्मे वादीगण

2. आया कि वाद वर्णित आराजीयात को दौरान भूप्रबंध अन्य प्रतिवादीगणो के दर्ज कर दी जिसे पुनः वादीगण अपनी खातेदारी में घोषणा कराये जाने एवं उसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती के अधिकारी है।

--जिम्मे वादीगण

3. आया वादीगण को प्रतिवादीगण बेदखल नहीं करे स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर जावे।

--जिम्मे वादीगण

4. आया कि साबिक रेकार्ड मौके अनुसार भूप्रबंध किया गया।

--जिम्मे प्रतिवादी

5. आया कि प्रतिवादी को 80(2) का नोटिस नहीं दिये जाने से खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:13:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

--जिम्मे प्रतिवादी

तहसीलदार भदेसर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर मौका कमीश्नरी रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार भदेसर द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार “वादपत्र की बिंदु संख्या 01 अंकित अनुसार राजस्व रेकार्ड से होकर कोई जवाब अपेक्षित नहीं है। बिंदु सं. 02 से 04 भू प्रबंध अधिकारियो रेकार्ड एवं उनके अधिकारियों के अधिकार से संबंधित होने से जवाब अपेक्षित नहीं है।

रिपोर्ट तहसीलदार भदेसर अनुसार साबिक आ.नं. 3081/16 रकबबा 10 बीघा एवं नवीन आराजी नम्बर 3927,3929,3913,3912,3911, 3910 का मौका स्थिति एंव राजस्व रेकार्ड अनुसार साबिक आ.नं. 3081/16 रकबा 10 बीघा वादीगण चम्पालाल पिता गोपीलाल खटीक वगैरह के दर्ज रेकार्ड थी। लेकिन वक्त सेटलमेंट द्वारा उपरोक्त साबिक आराजीयात का नवीन आराजीयात पर वादीगण की खातेदारी दर्ज नहीं किया गया। प0ह0 भादसोडा की मौका रिपोर्टानुसार नवीन आ.नं. 3911 रकबा 0.92 हैक्ट0, आ.नं. 3927 रकबा 0.41 हैक्ट0, आ.नं. 3928 रकबा 0.18 हैक्ट0, आ.नं. 3929 रकबा 0.65 हैक्ट0 किता 4 कुल रकबा 2.16 हैक्टयर भूमि पर वादीगण चम्पालाल पिता गोपीलाल खटीक वगैरह का कब्जा एवं काश्त हो रहा है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड अनुसार आ.नं. 3911 रकबा 1.03 हैक्ट सोवनीबाई पत्नि परथु रेगर भेरुलाल नाराणी वरदी देउ प्रेम गीता पिता मांगीलाल गुलाबी बेवा मांगीलाल धोबी आ.नं. 3927 रकबा 0.41 हैक्ट0 जगदीश भेरु देवीलाल डाडमचंद डालू पिता सवा धापू बेवा सवा कुम्हार आ.नं. 3929 रकबा 0.65 हैक्ट0 नानूराम पोखर मोहनलाल पिता रतना खटीक के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है, लेकिन उपरोक्त खातेदारो का उपरोक्त आराजीयात पर कब्जा काश्त नहीं है। जबकि कब्जा एवं काश्त वादीगण का है एवं आ.नं. 3928 रकबा 0.18 हैक्ट0 बिलानाम दर्ज रेकार्ड हैं। जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त है। अतः आ.नं. 3911 रकबा 0.92 हैक्ट0, आ.नं. 3927 रकबा 0.41 हैक्ट0,आ.नं. 3928 रकबा 0.18 हैक्ट0, आ.नं. 3929 रकबा [illegible] हैक्ट0 किता 04 रकबा 2.16 हैक्टेयर वादीगणो के नाम दर्ज करने की [illegible] की जाती है।”

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:13:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

वाद के समर्थन मेंवादीगणद्वारानिम्न दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर प्रदर्श कराए गये।

1. रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.07.1985 की फोटो प्रति।
2. नकल जमाबन्दी मौजा भादसोडाखाता सं0165संवत् 2053-56
3. अवधि बंदोबस्त संवत् 2066 से 2086
4. नकल जमाबन्दी मौजा भादसोडाखाता सं0 174 संवत् 2065-2068
5. नामांतरण पंजिका रजिस्टर मौजा भादसोडा की फोटो प्रति
6. मिलान क्षेत्रफल भू प्रबंध विभाग मौजा ग्राम भादसोडा
7. नकल जमाबन्दी मौजा भादसोडाखाता संवत् 2072-2075

लायक अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गयी जिन्होनें वाद में प्रस्तुत दस्तावेजो एवं वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के पिता की क्रयशुदा कृषि भूमि है जिसपर वादीगण भूप्रबंध से पहले से ही काबिज होकर काश्त उपयोग उपभोग कर रहे है। भूप्रबंध द्वारा वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात का बिना किसी सक्षम आदेश के सेटलमेंट में नवीन नम्बर का अंकन नहीं कर खाली छोड दिया प्रतिवादीगण के खातेदारीको वादीगण के आराजीयात पर तरमीक कर दिया जिसे पुनः नवीन आराजी का अंकन करते हुए वादीगण की खातेदारी में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष अभिलेख का अधोपरान्त अवलोकन किया गया विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर न्यायालय वादीगण के कथन एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से सहमत है,वकील वादीगण के कथन से सहमत है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित मानते है।

उपरोक्त विवेचन,प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार भदेसर से प्राप्त रिपोर्ट के आलोक में वाद वादीगण निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है कि कृषि आराजीयात मौजा ग्राम भादसोडा प0ह0 भादसोडा की साबिक आ.नं. 3081/16 रकबा 10 बीघा एवं [illegible] आराजी नम्बर 3927,3929, 3913,3912,3911, 3910 का मौका स्थिति एंव राजस्व रेकार्ड अनुसार साबिक आ.नं. 3081/16 रकबा 10 बीघा वादीगण चम्पालाल पिता गोपीलाल

उपखण्ड अधिकारी
...र, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:13:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

खटीक वगैरह के दर्ज रेकार्ड थी। लेकिन वक्त सेटलमेंट द्वारा उपरोक्त साबिक आराजीयात का नवीन आराजीयात पर वादीगण की खातेदारी दर्ज नहीं किया गया। प०ह० भादसोडा की मौका रिपोर्टानुसार नवीन आ.नं. 3911 रकबा 0.92 हैक्ट0, आ.नं. 3927 रकबा 0.41 हैक्ट0, आ.नं. 3928 रकबा 0.18 हैक्ट0, आ.नं. 3929 रकबा 0.65 हैक्ट0 किता 4 कुल रकबा 2.16 हैक्टयर भूमि पर वादीगण चम्पालाल पिता गोपीलाल खटीक वगैरह का कब्जा एवं काश्त हो रहा है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड अनुसार आ.नं. 3911 रकबा 1.03 हैक्ट सोवनीबाई पत्नि परथु रेगर भेरूलाल नाराणी वरदी देउ प्रेम गीता पिता मांगीलाल गुलाबी बेवा मांगीलाल धोबी आ.नं. 3927 रकबा 0.41 हैक्ट0 जगदीश भेरू देवीलाल डाडमचंद डालू पिता सवा धापू बेवा सवा कुम्हार आ.नं. 3929 रकबा 0.65 हैक्ट0 नानूराम पोखर मोहनलाल पिता रतना खटीक के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है, लेकिन उपरोक्त खातेदारो का उपरोक्त आराजीयात पर कब्जा काश्त नहीं है। जबकि कब्जा एवं काश्त वादीगण का है एवं आ.नं. 3928 रकबा 0.18 हैक्ट0 बिलानाम दर्ज रेकार्ड है। जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त है। अतः आ.नं. 3911 रकबा 0.92 हैक्ट0, आ.नं. 3927 रकबा 0.41 हैक्ट0,आ.नं. 3928 रकबा 0.18 हैक्ट0, आ.नं. 3929 रकबा 0.65 हैक्ट0 किता 04 रकबा 2.16 हैक्टेयर वादीगणो के नाम दर्ज किये जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता हैइसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जावे।इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब हो।निर्णय टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
...ेसर, जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:13:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner